Prof. Anand Mishra
D.Lit.
Registrar

JIWAJI UNIVERSITY

GWALIOR - 474 011, M.P. (INDIA)
Phone : 0091-751-2341896, 2442801 (Off.)
2442642 (Resi.)
Fax : 0091-751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

JU/PAR/2011/3367
21.11.11

महत्वपूर्ण सूचना

आर्यभट्ट छात्रावास के समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20 एवं 21.11.2011 को हुए छात्र समूह विवाद में जो विषम स्थिति निर्मित हुई, उपरोक्त संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि समस्त निवासरत छात्र दिनांक 02.12.2011 तक अनिवार्य रूप से छात्रावास के अपने-अपने कमरों को खाली कर छात्रावास अधीक्षक को निर्गमित सामान एवं कमरे की चाबी सौंपे।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति
समस्त छात्र,
आर्यभट्ट छात्रावास
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रतिलिपिः-

निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. चीफ वार्डन / वार्डन, आर्यभट्ट छात्रावास, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

कुलसचिव

कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 21.11.2011 को सायंकाल 4:30 बजे मााननीय कुलपति जी द्वारा आर्यभट्ट छात्रावास के छात्रों के संघर्ष के संबंध में बनाई गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन पर विचार करने हेतु कुलपति जी ने गठित समिति के साथ विचार-विमर्श किया। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि दोनों ओर से छात्रों के समूह द्वारा अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा की गई है। गठित समिति द्वारा घटना को देखने के उपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना निकट भविष्य में विस्फोटक रूप ले सकती है।

माननीय कुलपति जी ने छात्रों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यों की सहमति के उपरान्त यह निर्णय लिये कि :-

1. दस दिवस में सम्पूर्ण छात्रावास को खाली करा लिया जावेगा और जिसकी अधिसूचना आज दिनांक 21.11.2011 को प्रसारित कर दी जावेगी।
2. विश्वविद्यालय प्रशासन तीन दिवस के अन्दर स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ चर्चा करेगा और उपरोक्त दिशा में पहल करेगा।
3. छात्रावास खाली कराने हेतु अध्ययनशाला के सभी विभागाध्यक्षों/निदेशक/समन्वयकों की एक बैठक दिनांक 22.11.2011 को अपरान्ह 3.00 बजे भण्डारकर सभा कक्ष में रखी जावेगी। उपरोक्त बैठक को डॉ. के.एस. ठाकुर पूरे दस्तावेजों के साथ संयोजक के रूप में बैठक में रखेंगे।
4. अगर छात्रावास को पुनः प्रारंभ करने की स्थिति बनती है तो छात्रों के अभिभावकों से शपथ-पत्र लिया जावेगा कि उनके पुत्र छात्रावास में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। छात्रावास में छात्रों का पुलिस भौतिक सत्यापन पुनः प्रवेश देने से पूर्व कराया जावेगा।
5. छात्रावास के अन्दर जो यंत्री विभाग द्वारा कार्य संपादित होना है वह आपातिक तौर पर किया जावेगा। यंत्री की यह जिम्मेदारी बनती कि वह छात्रावास में खाली रहने की अवधि में कार्य पूर्ण करेंगे।